1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No- Meno/Bgr Dated- 29/06/2020

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.763 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Syali to Ediya-Manakhet of M/road.**
in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Gram Panchayat Manakhet** village in **Garur** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.763 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.
(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature 29/06/20

Dated 29/06/2020

(Ranjana Rajguru)
District Collector
जिलाधिकारी
बागेश्वर
Seal
(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–स्याली
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार का कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.472 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.715 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.576. है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.763 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्याली. द्वारा दिनांक 22.1.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्याली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम पंचायत, स्यालीस्टेट
विकासखण्डगरुड़ (बागेश्वर)

ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः–   जनपद बागेश्वर   के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत   मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनाक 22.1.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–स्याली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	किशनसिंह	[illegible]
(2)	शेखर चन्द्र	शेखर चन्द्र
(3)	पुरन सिंह	पुरन सिंह
(4)	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
(5)	मदन सिंह	मदन सिंह
(6)	नरोत्तम जोशी	
(7)	रघुवर सिंह	रघुवर सिंह
(8)	जसोद सिंह	[illegible]
(9)	विजय सिंह	[illegible]
(10)	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
(11)	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह
(12)	श्रीमती माया देवी	श्रीमती माया देवी
(13)	" खीमा देवी	खीमा देवी
(14)	" नन्दी देवी	
(15)	श्री कीर्ति वल्लभ	
(16)	श्रीमती कमला देवी	
(17)	" विमला देवी	विमला देवी
(18)	" देवकी देवी	देवकी देवी
(19)	" बबीता देवी	बबीता देवी
(20)	श्री शंकर राम	शंकर राम
(21)	" किशन राम	किशन राम

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–लद्यूड़ा
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार का कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.472 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.715 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.576. है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.763 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लद्यूड़ा द्वारा दिनांक .... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्याली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

प्रधान
ग्राम पंचायत, स्याली
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

ह0/
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

ह0/
प्रशासक
ग्राम प्रशासक
वि0ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनाक 22.1.20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– लद्यूड़ा

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	श्री जीवन सिंह	[signature]
02	" राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
03	" गोविन्द सिंह	
04	" लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
05	" गिरधर बोरा	G.S. Bora
06	" कृष्णा बोरा	K.S. BORA
07	" हरीश बोरा	H.S. BORA
08	श्रीमती ~~गोविंद~~ चम्पा बोरा	C.B.
09	" पुष्पा देवी	P.D.
10	" तारा देवी	
11	" जानकी देवी	
12	" शंकर सिंह	
13	" कीर्ति बल्लभ	
14	" धनुली देवी	

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
मनाखेत
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार का कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.432 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.715 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.576. है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.723 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मनाखेत. द्वारा दिनांक 22.1.20 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्याली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पचायत
वि0ख0 गरूड (बागेश्वर)

ह0 /
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
वि0ख0– (बागेश्वर)

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनाक 22.1.20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत–मनाखेत

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	मदन मोहन सिंह	मदन मोहन सिंह
	विरेन्दर सिंह बोरा	विरेन्दर सिंह
	दलीप सिंह बोरा	Dalip
	दीप चन्द्र	Depem
	त्रिपुरारी दत्त	Tirpuri Datt
	नैन राम	नैन राम
	भवान राम	भवान राम
	लछमी राम	लछम राम
	हीरा राम	हीरा राम
	श्याम सुन्दर	Shyam S
	कमल राम	कमल राम
	प्रताप सिंह	Balwant
	बलवन्त सिंह बोरा (इड़िया)	
	भीमा सिंह (")	
	महेन्द्र सिंह इड़िया	

हरसिंह

कमल सिंह

हरसिंह

हरसिंह

1.6

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरूड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति–गरूड़

उपखण्ड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.472 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.715 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 0.576 है0 वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 1.763 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील गरूड़ की दिनांक 22/06/20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति गरूड़ की बैठक श्री जयवर्धन शर्मा, उप जलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री जयवर्धन शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष 22/06/20 उप जिलाधिकारी गरूड़
2–	श्री सुरेन्द्र सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी वन क्षेत्र अधिकारी	सदस्य
3–	श्री दिनेश चन्द्र लोहनी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्री रंजीत रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र, ~~मजकोट~~ मनाखेत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.763 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य हेतु 1.763 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

22/08/20

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 29/06/2020 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के प्रमाण पत्र दिनांक......22/06/2020 द्वारा जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग लिए 1.763 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ द्वारा स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग के लिए 1.763 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग के लिए 1.763 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

सदस्य जिला पंचायत
जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत क्षेत्र – बिमला
वि0 बागेश्वर (बागेश्वर)

Sunita 29-6-20
सदस्य
पंचायत क्षेत्र कौसानी
जनपद बागेश्वर

29/6/2020
जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
बागेश्वर

29/06/2020
जिलाधिकारी
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.763 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक

(रंजना राजगुरू)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।